ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर (म.प्र.)

परिवहनकर्ता
हेतु
ई–निविदा प्रपत्र

डेयरी संयंत्र बानमौर–मालनपुर–भिण्ड़–अम्बाह मार्ग

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
गोला का मंदिर, रेजीडेन्सी रोड़, मुरार,ग्वालियर–474005
दूरभाष क्रमांक– 0751–2368107
फैक्स नम्बर– 0751–2366981
E-mail : gwaliordairy@gmail.com

निविदा प्रपत्र मूल्य रू. 500/–

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,ग्वालियर

गोला का मंदिर,ग्वालियर,फोन नम्बर 0751–2365523, 2368107

साँची लोगो

परिवहनकर्ता हेतु ई–निविदा सूचना

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर द्वारा निम्न वितरण मार्गो पर साँची दूध एवम् दुग्ध उत्पाद परिवहन व वितरण कार्य हेतु वाहन मालिकों (इन्सुलेटेड बॉडी) से online ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रं	निविदा का संक्षिप्त विवरण	कार्य अवधि	वाहन का प्रकार एवम् मॉडल	वाहन की क्षमता	निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिभूति राशि
1	डेयरी संयंत्र बानमौर–मालनपुर–भिण्ड़–अम्बाह मार्ग प्रतिट्रिप 220 कि.मी.	3 वर्ष	इन्सुलेटेड वाहन 2015 या बाद का	न्यूनतम 1.5 टन	10,000 / –

निविदा प्रपत्र ऑनलाईन वेबसाईट http://www.mptenders.gov.in से क्रय कर ऑनलाईन भरें जा सकते है। निविदाओं का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mpcdf.gov.in पर देखा जा सकता है ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,ग्वालियर
गोला का मंदिर,ग्वालियर,फोन नम्बर 0751–2368107
E-mail : gwaliordairy@gmail.com

ई–निविदा

दुग्ध संयंत्र बानमौर से डेयरी संयंत्र बानमौर–मालनपुर–भिण्ड़–अम्बाह मार्ग पर दूध एवम् दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता हेतु निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mpcdf.gov.in पर भी उपलब्ध है।

निविदा फार्म ऑनलाईन भुगतान करके www.mptenders.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है । निविदा दस्तावेज मे कोई भी संशोधन/परिवर्तन www.mptenders.gov.in पर ही अपलोड किया जाएगा ।

क्रं	विवरण	परिवहनकर्ता कार्य हेतु
1	ई–निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 19.03.2021 दोपहर 01:30 बजे से
2	ई–निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय एवं जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 15.04.2021 दोपहर 01:00 बजे
3	तकनीकी बीड ऑनलाईन रूप से खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 15.04.2021 दोपहर 02:00 बजे
4	निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	ई.एम.डी. राशि रूपये 10,000/– ऑनलाईन भुगतान करें।
5	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रूपये 500/– (पांच सौ मात्र)
6	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मंदिर ग्वालियर
7	दुग्ध परिवहनकर्ता कार्य हेतु तकनीकी अर्हताऐं'' का प्रारूप एवं शर्तें	प्रपत्र 01 एवं 02 लिफाफा 'B'
8	''भाव पत्र/दरें'' प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र – 03 (केवल ऑनलाईन भरें)
9	निविदाकार का परिचय	प्रपत्र – 04
10	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र – 05

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–

- E.M.D. की ऑनलाईन पेमेंट की रसीद् भौतिक रूप से अलग लिफाफा में रखें, जिस पर लिफाफा ''A''लिखा जावें ।

- प्रपत्र क्रमांक 1 ''तकनीकी अर्हताऐं'' तथा प्रपत्र क्रमांक 2 ''निविदा की शर्ते'' एक ही बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर लिफाफा ''B''–प्रपत्र 1 ''तकनीकी अर्हताये'' एवं प्रपत्र 2 निविदा की शर्ते लिखा जावे ।
- धरोहर राशि (E.M.D.) पर लिफाफा ''A'' तथा तकनीकी लिफाफा ''B'' ऑनलाईन अपलोड करने के साथ–साथ भौतिक रूप से एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर कार्यालय में ऑनलाईन निविदा खोले जाने के पूर्व जमा की जाए ।
- लिफाफा ''A'' तथा लिफाफा ''B'' में चाही गई जानकारी के प्रमाण स्वरूप समस्त दस्तावेजों की स्केन कॉपी ऑनलाईन अपलोड करना होगी । पहले ''तकनीकी अर्हताऐं'' तथा निविदा शर्तों का लिफाफा खोला जावेगा । तकनीकी अर्हताऐं में सफल निविदाकर्ताओं की ही ऑनलाईन प्राप्त दरें खोली जावेगी । निविदाकार लिफाफे के ऊपर अपना नाम एवम् पता स्पष्ट रूप से अंकित करें । प्रपत्र क्रमांक 2 में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जाएगी ।
- प्रपत्र 3 लिफाफा ''C'' जिसमें दरें संलग्न होगी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाऐ एवं भौतिक रूप से प्राप्त दरों को निरस्त समझा जावेगा।

प्रपत्र 01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
ग्वालियर

पासपोर्ट
साईज फोटो
(स्व प्रमाणित)

महोदय,

साँची दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक ....को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित ई–निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गये है। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः एतत् द्वारा ऑनलाईन जमा की गई ईएमडी राशि रू. 10,000/– (अक्षरी रू. दस हजार मात्र) की ऑनलाईन रसीद क्रमांक.............. दिनांक............... संलग्न कर रहा हूँ।

<u>तकनीकी अर्हताऐं</u>

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1–	ठेकेदार का नाम (संस्था /फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र / प्रमाण पत्र ।
2–	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनर शिप डीड
3–	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था / फर्म के संचालक मण्डल / मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र
4–	निविदाकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5–	उपलब्ध वाहन का प्रकार जो स्वयं के नाम से पंजीकृत इंसुलेटेड वाहन मॉडल – 2015 या उसके बाद का होना अनिवार्य है। (वाहन खरीदने की स्थित में तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें। सवयं का वाहन होने पर पंजीयन प्रमाण पत्र की कॉपी		उपलब्ध वाहन के पंजीयन अथवा नया वाहन क्रय करने की स्थिति में रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथ पत्र संलग्न करें।
6–	परिवहनकर्ता का FSSAI का पंजीयन आवश्यक है। (FSSAI उपलब्ध नहीं) होने की दशा में		FSSAI प्रमाण पत्र की प्रति या FSSAI हेतु आवेदन कर रसीद प्रस्तुत करें।

	FSSAI हेतु आवेदन कर रसीद प्रस्तुत करना होगी।		
7—	ई.एम.डी. राशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य राशि।		ऑनलाईन जमा राशि की मूल रसीद संलग्न करें।
8—	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त चैक लगावें।
9—	वित्तीय वर्ष 2018—19, 2019—20 का आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती एवं रिटर्न की कॉपी । (छायाप्रति संलग्न करें)
10—	निविदाकार दुग्ध संघ का कर्मचारी / संचालक मण्डल सदस्य अथवा रिश्तेदार नहीं है। (इस बाबत् रू. 100 / — के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)		रूपये 100 / — के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथ पत्र संलग्न करें।
11—	निविदाकार को एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो। (इस बाबत् रू. 100 / — के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)		रूपये 100 / — के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथ पत्र संलग्न करें।
12—	निविदाकार के विरूद्ध किसी भी थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। (इस बाबत् रू. 100 / — के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)		रूपये 100 / — के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथ पत्र संलग्न करें।

नोट :— (1) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।
(2) उपरोक्त समस्त दस्तावेजों की स्वः प्रमाणित छायाप्रति ऑनलाईन रूप से सलंग्न करना अनिवार्य है। उक्त में से किसी भी दस्तावेज को कम पाये जाने अथवा गलत पाये जाने पर निविदा आमान्य कर दी जायेगी।

हस्ताक्षर :—...

नाम :—...

पता :—...

....

टेलीफोन नं..

मोबाईल नं...

प्रपत्र 02

साँची दूध परिवहनकर्ता हेतु निविदा की आवश्यक शर्ते :–

1– दूध परिवहनकर्ता हेतु निविदा ई–निविदा द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती है । जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,ग्वालियर को नियत दिनांक को समय सीमा मे प्राप्त हो जाना चाहिए ।

2– निविदाकार द्वारा ई–निविदा प्रस्तुत करने पर यह समझा जावेगा कि उनके द्वारा परिवहनकर्ता निविदा हेतु दी गई विभिन्न सूचनाओं, शर्तो एवम् अनुबन्ध आदि का भलिभांति अध्ययन कर लिया गया है एवम् निर्धारित मार्ग की जानकारी से स्वयं को अवगत करा लिया गया है ।

3– निविदाकार को आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य हैं ।

4– निविदाकार/आवेदक द्वारा निविदा हेतु प्रत्येक मार्ग के लिए अलग – अलग ई.एम.डी. राशि रू. 10,000/– ऑनलाईन जमा करनी होगी । अन्य किसी प्रकार जमा ई.एम.डी. मान्य नहीं की जावेगी। ई.एम.डी. राशि जमा न करने की स्थिति में आवेदक की निविदा पर विचार नही किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।

5– आवेदक को दूध एवं दुग्ध पदार्थो के वितरण / परिवहनकर्ता का अनुभव होना चाहिए तथा परिवहनकर्ता का अनुभव रखने वाली पार्टियों को वरीयता दी जा सकती है ।

6– निविदाकार के पास स्वयं का मार्ग अनुसार निर्धारित न्यूनतम क्षमता का इन्सूलेटेड वाहन होना आवश्यक है । यदि स्वयं का वाहन नहीं है अथवा स्वयं के वाहन में इन्सूलेटेड बॉडी नही है तो निविदा स्वीकार होने की दिनांक से 45 दिवस के अन्दर इन्सूलेटेड बॉडी बनवाकर वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर अर्नेस्ट तथा सुरक्षा राशि राजसात की जा सकेगी तथा इस संबंध में प्रबन्ध पक्ष का निर्णय अन्तिम होगा दुग्ध परिवहन हेतु इन्सूलेटेड़ वाहन निविदा दिनांक को वर्ष 2015 या बाद का पंजीकृत होना अनिवार्य है। वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से कराकर संघ कार्यालय में जमा करानी होगी। नया वाहन क्रय करने की दशा में शपथ – पत्र देना होगा एवम् निविदा स्वीकृत होने पर वाहन क्रय करके वाहन की इन्सूलेटेड़ बॉडी बनवाकर वितरण कार्य आरम्भ करने के पूर्व संघ कार्यालय को वाहन के पंजीकरण से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजो एवम् वाहन का निरीक्षण संघ के सक्षम अधिकारियों को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजो की छाया प्रति संघ कार्यालय में जमा कराना होगी ।

7– निविदाकार आवेदक को उसके द्वारा वर्तमान में किये जा रहे व्यापार का टर्न ओवर के सम्बन्ध में विवरण (दस्तावेजी प्रमाण के साथ) प्रस्तुत करना होगा।

8– निविदाकार के पास जी.एस.टी.नम्बर होना चाहिये । निविदाकर्ता यदि व्यक्तिगत् नाम से निविदा में भाग लेता है तो उसे व्यक्तिगत नाम से जी.एस.टी. नम्बर होना चाहिये यदि फार्म के नाम से निविदा मे भाग लेता है तो फर्म के नाम से जी.एस.टी. नम्बर होना चाहिये । निविदा मे भाग लेते समय जी.एस.टी. नम्बर या प्राप्त करने हेतु आवेदन की छाया प्रति संलग्न करना होगा ।

9— सफल आवेदक को संघ में रू. 50,000/—सुरक्षा राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा अथवा नगद दस दिवस में जमा करना होगा । समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करने के पश्चात् ई.एम.डी. राशि वापस की जावेगी ।

10— निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारण से कार्य नहीं करने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निविदाकार की ई.एम.डी. राशि तथा सुरक्षा राशि राजसात करने का अधिकार होगा ।

11— निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को निर्धारित सुरक्षा राशि रू. 50,000.00 (रू. पचास हजार मात्र) संघ में जमा करना अनिवार्य है ।

12— निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो ई.एम.डी. राशि तथा सुरक्षा राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही आवेदक का आवेदन निरस्त समझा जावेगा ।

13— आवश्यकता प्रतिपादित होने पर केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से ही नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा ।

14— निविदा स्वीकृति की स्थिति में सफल निविदाकार को संघ के साथ रूपये 1000/— के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा ।

15— निविदाकार को निविदा भाव पत्र में दरें स्पष्ट वर्णित करनी होगी । अतः दरों में किसी प्रकार की ओवर राईटिंग / काटपीट न करें । यदि अंको एवं शब्दों प्रस्तुत दरों में भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत दरों को मान्य किया जाएगा। केवल परिवहन दर प्रतिट्रिप (आना—जाना) अंकित करें ।

16— निविदा में निर्देशित दर मे वाहन चलाने सम्बन्धी समस्त व्यय, टोल टैक्स आदि सम्मिलित होगे ।

17— निविदाकार / आवेदक दरें निविदा प्रस्तुत दिनांक को प्रचलित डीजल दरों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हैं । निविदा अवधि में डीजल दरों में जो भी वृद्धि / कमी होगी उसका प्रभाव परिवहनकर्ता को उनके द्वारा प्रस्तुत परिवहन दर में भी दिया जावेगा ।

18— किसी भी निविदा को बिना कारण बताऐ निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा ।

19— **निविदा प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाला अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्ते आवश्यक रूप से पढ़ कर समझ लें ।**

20— निविदा स्वीकृति के उपरान्त परिवहनकर्ता की कार्य अवधि तीन वर्षो के लिये प्रभावशील रहेगी । दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्षो की अवधि में सन्तोषप्रद पाए जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि आपसी सहमति से एक—एक वर्ष करके दो वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी ।

21— कार्य आदेश में वर्णित सभी औपचारिकताऐं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा/निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रबन्ध द्वारा निर्णय लेने पर ई.एम.डी. राशि तथा सुरक्षा राशि भी राजसात की जा सकेगी ।

22– ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित में कार्यरत् अधिकारी/कर्मचारी /संचालक मण्ड़ल के सदस्यों को स्वंय उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके निकटस्थ रिश्तेदारों एवम् सुरक्षा ठेकेदार / श्रमिक ठेकेदार को निविदा भरनें की पात्रता नहीं होगी ।

23– संघ में जो परिवहनकर्ता वर्तमान में कार्यरत् हैं यदि उनके द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाती हैं और यदि वर्तमान परिवहनकर्ता की निविदा स्वीकृत होती है तो, कार्य प्रारंभ होने के पूर्व परिवहनकर्ता कार्यकाल की समस्त देनदारियां (अर्थात केन/क्रेट/दूध एवं अन्य राशियां जो बकाया निकलती हैं) चुकता करना होगी। इसके उपरान्त ही कार्य आदेश जारी किया जावेगा । पूर्व में जिन परिवहनकर्ताओं के कार्यकाल में ठेका निरस्त किया गया हो उन पर शास्ति या दण्ड आरोपित किया गया हो, ब्लेक लिस्ट किया गया हो या ग्राहको की शिकायते प्राप्त हुई हो, उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा ।

मेरे द्वारा सॉची दूध परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समझ ली गई है तथा मैं / हम सभी शर्तो को मानने के लिये सहज तैयार हूं / हैं । निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य हैं । यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 23 तक वर्णित शर्तो को पालन नहीं करता हूं एवं मेरी ई.एम.डी. राशि तथा सुरक्षा निधि राजसात करने का प्रबंधन द्वारा निर्णय किया जाता है तो मै इस हेतु सहमति देता/देती हॅू ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम—————————————————————

पता/फोन एवं मोबाईल नम्बर———————————————

प्रपत्र 03

वित्तीय बिड (केवल ऑनलाईन ही भरें) प्रारूप केवल देखने हेतु

क्रं.	मार्ग का नाम	परिवहन दर (अंको में) प्रतिट्रिप आना–जाना	परिवहन दर (शब्दों में) प्रतिट्रिप आना–जाना
1.	डेयरी संयंत्र बानमौर–मालनपुर–भिण्ड़–अम्बाह मार्ग		

नोटः– निविदाकार को परिवहन दर प्रस्तुत करते समय यह ध्यान रखना होगा कि वे अंग्रेजी के अंकों एवं शब्दों में दरें स्पष्ट रूप से अंकित करें। दरों में किसी प्रकार की ओवर राईटिंग/काटपीट न करें। यदि अंकों एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत दरों को मान्य किया जाएगा।

प्रपत्र 04

निविदाकार का परिचय

पासपोर्ट साईज फोटो (स्व प्रमाणित)

1. निविदाकर्ता का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. स्थाई पता ....

   (प्रमाण सहित) ....

   ....
4. वर्तमान व्यवसाय का विवरण ....

   ....
5. दूरभाष/मोबाईल नम्बर ....
6. ई—मेल एड्रेस ....
7. शैक्षणिक योग्यता ....
8. प्रस्तावित मार्ग का नाम ....
9. निविदाकार/फर्म का नाम/यदि ....

   फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनर ....

   शिप फर्म की पूर्ण जानकारी ....

   (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना

   अनिवार्य है।
10. पेन नम्बर ....

मेरे द्वारा साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता कार्यसंबंधी इस फार्म के साथ संलग्न समस्त शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूं और मान्य करता/करती हूं। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर –

नाम –

प्रपत्र 05

दूध एवं दुग्ध पदार्थ परिवहनकर्ता / वितरण हेतु अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक -------- को ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मंदिर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं मैसर्स / श्री ------------- पुत्र श्री -------- वाहन स्वामी के मध्य दुग्ध संयत्र बानमौर से --------------------- मार्ग पर दुग्ध एवम् दुग्ध पदार्थ परिवहन एवम् वितरण कार्य हेतु बतौर परिवहनकर्ता वाहन कमांक ------ (इन्सूलेटेड बॉडी) व मॉड़ल वर्ष ----- दिनांक -----से ----- तक की अवधि हेतु दर रूपये ---------- (------------) प्रतिट्रिप पर अनुबन्धित किया जाता हैं । ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को आगे के पदो में केवल ''संघ'' शब्द से श्री ----------पुत्र श्री ------- को ''परिवहनकर्ता'' के नाम से सम्बोधित किया जावेगा, तद्नुसार उभय पक्षों के मध्य यह अनुबन्ध निम्न शर्तो के अधीन निष्पादित किया जा रहा हैं ।

1— यह कि परिवहनकर्ता होने पर परिवहनकर्ता निर्धारित मार्गो एवं स्थानों पर अपने अनुबन्धित वाहन द्वारा दुग्ध वितरण करेगा । मार्ग केन्द्र व निर्धारित समय एवं दूरी मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी एवं इसमें आवश्यकतानुसार समय – समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा जो परिवहनकर्ता पर बन्धनकारी होगा एवं मार्ग की दूरी निविदा में दर्शाए गए विकय केन्द्रो में अन्य केन्द्र बढ़ाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ का होगा, इसका अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा । यदि वाहन दर्शाये गये अधिकतम किलो मीटर से दस किलो मीटर कम/ज्यादा चलती है तो उसकी समानुपातिक रूप से कम/ज्यादा दर निर्धारित करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होगा ।

2— यह कि निविदा में निर्देशित दरों में वाहन चलाने सम्बन्धी समस्त व्यय,टोल टैक्स व दूध की केटस तथा केन वाहन में लोड करने व मार्ग के विकय केन्द्रो पर चालान के अनुसार उतारने तथा निर्धारित समय में केन्द्रो से केट व केन आदि वापस लेकर डेयरी संयत्र बानमौर में चालान के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित व्यक्ति को सौंपने के लिये श्रमिक का व्यय सम्मिलित होगा ।

3— निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व परिवहनकर्ता को संघ में रूपये 100/— नाम मात्र का शुल्क जमा कर सदस्यता प्राप्त करना होगी ।

4— अ— परिवहनकर्ता द्वारा नियुक्त कर्मचारी द्वारा जितनी केट दुग्ध संयंत्र से प्राप्त की हैं उतने ही केट रिटर्न लाते वक्त दुग्ध संयंत्र में वापस कर रसीद प्राप्त करना चाहिए अन्यथा जितने केट कम वापस किये जायेगे, उतने केटो की कीमत की राशि परिवहनकर्ता के बिल में से काटी जावेगी ।

ब— विभिन्न विकय केन्द्रो पर प्रतिदिन निर्धारित सामग्री परिवहनकर्ता को चालान में दर्शाई गई मात्रा के अनुसार उतारना होगा एवं त्रुटि पाए जाने पर समस्त जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की ही होगी एवं इसी प्रकार रिटर्न वाली सामग्री भी पूर्ण रूप से डेयरी प्लान्ट, केन्द्रों से एकत्रित कर पूर्ण रूप से डेयरी प्लान्ट में वापस करनी होगी । यदि किसी प्रकार की कमी पाई गई तो वस्तु की कीमत की कुल रकम परिवहनकर्ता से वसूल की जावेगी ।

5— यह कि, वाहन में चालक तथा अटेन्डेंट परिवहनकर्ता ही नियुक्त करेगा जिनका वेतन व अन्य व्यय पृथक से देय नहीं होगा तथा परिवहनकर्ता वाहन के साथ चलने वाले वाहन चालक नियुक्त कर्मचारियों के नाम फोटो सहित प्रस्तुत करेंगे। परिवहनकर्ता द्वारा अधिकृत परिचालक/वाहन चालक, संघ के वितरण स्थल पर वितरण शीट में वाहन आने के समय हस्ताक्षर करेगा । वितरण में होने वाले दुग्ध के परिवहन के दौरान गाड़ी बिगड़ जाने की स्थिति में परिवहनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह दूसरी गाड़ी भेजकर या दूसरा इंतजाम करके समय पर कार्य सम्पन्न करें । अन्यथा समय पर दुग्ध वितरण न होने से कोई भी हानि हुई तो वह परिवहनकर्ता से वसूली योग्य होगी । ऐसी घटना होने पर निविदा निरस्त करके परिवहनकर्ता की जमा सुरक्षा राशि राजसात की जा सकेगी ।

6— यह कि वाहन की खराबी अथवा परिवहनकर्ता पक्ष की ओर किसी भी प्रकार से वाहन के विलम्ब होने या दुर्घटना होने आदि की परिस्थिति में दुग्ध खराब होने पर या टूट —फूट होने पर जो मूल्यांकित हानि होगी उसका सम्पूर्ण दायित्व परिवहनकर्ता का रहेगा।

7— यह कि परिवहनकर्ता हर पखवाड़े में एक दिन कार्यालय में आकर उनके देयक से काटी जाने वाली राशि के सम्बन्ध मे समाधान कर लें अन्यथा नियमानुसार राशि देयक से काट ली जायेगी जो परिवहनकर्ता को मान्य करनी होगी ।

8— यह कि परिवहनकर्ता अपने वाहन से दूध व दूध के पैकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्र में ले जावेगे जितनी कि शीट चालान में दर्शाई गई हैं । यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन में पाया जाता हैं तो प्रति पैकेट एवम् क्रेट/केन के मूल्य की 20 गुना तक राशि अर्थदण्ड़ स्वरूप काटी जावेगी । दूसरी बार पुनरावृत्ति होने पर ठेका समाप्त कर सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी ।

9— यह कि परिवहनकर्ता/वाहन चालक, परिवहनकर्ता के कर्मचारी वापसी में सभी क्रेट्स केन लायेगे और दुग्ध चालान की प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की काटा — पीटी नहीं करेगे न ही दुग्ध की मात्रा स्वेच्छा से घटाएंगे / बढ़ाएंगे । दुग्ध विक्रेता की मांग की मात्रा से अधिक प्रदाय होने पर वापसी की पूरी दूध की रकम परिवहनकर्ता से वसूल की जावेगी तथा ठेका निरस्त किया जा सकेगा।

10— यह कि दुग्ध वितरण केन्द्र पर भेजे गये दुग्ध को परिवहनकर्ता या उसके कर्मचारी किसी भी प्रकार से विक्रय नहीं करेंगे । ऐसा पाया गया तो विक्रय की गई दूध की कीमत से दुगनी कीमत वसूल की जावेगी ।

11— यह कि परिवहनकर्ता या परिवहनकर्ता द्वारा नियुक्त कर्मचारी आदि वितरण किये जाने वाले दूध की मात्रा स्तर में किसी प्रकार की गडबड़ी करेगा तो उसकी जबाबदारी परिवहनकर्ता की होगी तथा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर दुग्ध संघ के अधिकारी मौके पर जाने के समय यदि प्रथम दृष्टि में अपमिश्रित दूध की संघ प्रयोगशाला में जांच में अपमिश्रण की पुष्टि हुई तो तुरन्त निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को होगा एवं सुरक्षा राशि भी जप्त कर ली जावेगी।

12– यह कि परिवहनकर्ता /कर्मचारी द्वारा वितरित किये जाने वाले दूध की रिटर्न (प्रयोगशाला) परीक्षण में अपमिश्रण की पुष्टि होती है तो ठेका निरस्त करके सुरक्षा राशि राजसात की जा सकेगी ।

13– यह कि परिवहनकर्ता या परिवहनकर्ता द्वारा नियुक्त कर्मचारी कार्यालय एवम् डेयरी संयत्र में किसी कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेगा । मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा ऐसे कर्मचारी की शिकायत पाये जाने पर कर्मचारी को कार्य से परिवहनकर्ता को तुरन्त हटा देना होगा । परिवहनकर्ता द्वारा कार्यालय में किसी भी अधिकारी / कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने पर उसका ठेका तुरन्त निरस्त कर उसका नाम ब्लैक लिस्ट में लगाया जावेगा ।

14– यह कि ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ में सुरक्षा गार्ड द्वारा जांच करने की दशा में परिवहनकर्ता के अटेन्डेन्ट दुग्ध के क्रेट उठाकर निरीक्षण को सम्पन्न करावेगा सुरक्षा गार्ड के साथ किसी भी प्रकार का दुर्वव्यवहार नहीं किया जावेगा व उसके पूर्ण जांच किये जाने में सहयोग देगे । शंका की स्थिति में संतोषप्रद जांच पड़ताल होने के पश्चात् ही दुग्ध वितरण वाहन डेरी से बाहर जाने दिया जावेगा ।

15– यह कि अधिकृत वाहन चालक एवं अटेन्डेन्ट के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को गाड़ी के साथ नहीं लाया जावेगा । यदि इनके अतिरिक्त व्यक्ति गाड़ी में पाये गये तो परिवहनकर्ता का ठेका निरस्त किया जा सकेगा तथा उन बाहरी व्यक्तियों के प्रति कोई दायित्व संघ वहन नहीं करेगा एवं रूपये 50/– (रूपये पचास मात्र) प्रति व्यक्ति दर से अर्थदण्ड़ वसूल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा। विशेष परिस्थितियों में वाहन यदि निर्धारित समय में 15 मिनिट तक की अवधि में विलम्ब से आता है तो उसकी छूट दी जावेगी तत्पश्चात् अन्य वाहन की व्यवस्था में जो वास्तविक देय होगा या ठेके के अनुसार दिया जाने वाला किराया होगा उसका दुगना (जो भी अधिक देय हो) परिवहनकर्ता से वसूल किया जावेगा । जितने दिन ठेकेदार दुग्ध वितरण के लिए अपना वाहन नहीं भेजेगे, उतने दिन के लिए उपरोक्तानुसार ही प्रतिदिन के हिसाब से वसूली की जावेगी । इसके अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था के लिये रूपये 5000/– (रूपये पॉच हजार मात्र) पृथक से वसूल किया जावेगा ।

16– यह कि दुग्ध वितरण के पश्चात् रिटर्न लेकर निर्धारित समय में डेयरी में वाहन आना अनिवार्य हैं । विशेष परिस्थिति में वाहन यदि 15 मिनिट की अवधि में विलम्ब से आता है तो छूट दी जावेगी । तत्पश्चात् रूपये 100/– (रूपये सौ मात्र) प्रति घन्टा विलम्ब से आने के लिये पेनाल्टी के रूप में आपके बिल से कटौत्री की जा सकेगी ।

17– यह कि परिवहनकर्ता का वाहन खराब हो जाता हैं तो सहायक महाप्रबंधक विपणन/प्रभारी विपणन/प्रबंधक विपणन की लिखित अनुमति से अस्थाई रूप से वह दूसरी वाहन की व्यवस्था करेगा । जिसकी अधिकतम अवधि दस (10) दिन की रहेगी । तत्पश्चात् अनुबंधित वाहन कार्य पर पुनः लगाना होगा । ऐसा न करने पर ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर का होगा ।

18– यह कि परिवहनकर्ता का वाहन खराब होने पर जो अस्थाई व्यवस्था परिवहनकर्ता करेगा उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी इस हेतु लिखित जानकारी कार्यालय को देनी होगी ।

19– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना परिवहनकर्ता दुग्ध या दुग्ध पैकेट / केनो से भरी गाड़ी के साथ किसी भी बाहरी व्यक्तियों को या अन्य सामान को नहीं ले जा सकेगा । परिवहन वाहन में अन्य कोई सामान,प्रतिस्पर्धी उत्पादों/प्रतिबंधित वस्तुओं का परिवहन करते पाये जाने पर अनुबंध तत्काल निरस्त किया जाकर सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी ।

20– देयको का भुगतान माह में एक बार किया जाएगा, द्वितीय पक्ष को नियमित रूप से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक देयक जमा कराना होगा जिसका भुगतान संघ द्वारा देयक प्राप्त होने के उपरान्त 15 दिवस में चैक/आर.टी.जी.एस. द्वारा किया जावेगा । विवाद की स्थिति में देयक का भुगतान विलम्बित होने पर संघ द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

21– वाहन चालक एवं अटेन्डेंट डेयरी डाक से दूध के पैकेट मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी के निर्देशानुसार प्राप्त करेगा। अभद्र व्यवहार करने या आदेशो की अवहेलना करने पर प्रबन्धक (प्लान्ट ऑपरेशन) द्वारा शिकायत करने पर दोषी कर्मचारी को परिवहनकर्ता तुरन्त बदल देगा ।

22– परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध संघ के पास कुल सुरक्षा राशि रूपये 50,000/– (पचास हजार) जमा कराई जावेगी । दुग्ध संघ में जमा की गई सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

23– वाहन का आकस्मिक निरीक्षण वितरण के दौरान किसी भी स्थान पर ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के अधिकारियों के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत पर्यवेक्षक को करने का अधिकार होगा उसे निरीक्षण करने से रोकना या उसके साथ अभद्र व्यवहार करने पर निविदा निरस्त करने का समस्त अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा ।

24– परिवहनकर्ता को अपना ठेका किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा और ना ही उप परिवहनकर्ता नियुक्त कर सकेगा। यदि ऐसा पाया गया तो ठेका तुरन्त निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को होगा ।

25– ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को बकाया देय रकम परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि से वसूल की जावेगी । बकाया राशि प्रतिभूति राशि से अधिक होने की स्थिति में बकाया राशि की वसूली परिवहनकर्ता के देयकों से की जावेगी।

26– डेरी संयत्र परिसर के अन्दर आने – वाले वाहन निर्धारित (20 किलो मीटर) की रफ्तार से ज्यादा गति से नहीं चलाए जावे और न डेयरी संयत्र परिसर में वाहन की साफ – सफाई की जावें । यदि ऐसा किया गया तो रूपये 100/– (रूपये सौ केवल) परिवहनकर्ता पर जुर्माना किया जावेगा जो कि उसके देयक से काटा जावेगा।

27— परिवहनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दरें स्वीकृत होने पर उसी भाव में परिवहनकर्ता की अविधि में अपना अनुबंधित स्वयं का वाहन चलायेगा । यदि परिवहनकर्ता द्वारा चलाने के लिये असमर्थता की तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी को परिवहनकर्ता की निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा तथा सुरक्षा राशि जप्त करने का अधिकार होगा।

28— उपरोक्त किसी भी शर्तो एवं ग्वालियर दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर द्वारा दिये गये निर्देशों, शर्तो एवं सूचनाओं की अवेहलना होने की स्थिति में ठेका निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को होगा ।

29— परिवहनकर्ता को खाली क्रेटो का लेखा – जोखा स्वयं रखना होगा एवम् प्रत्येक 15 दिवस के अन्त में स्वयं कार्यालय में आकर मिलान करना होगा । मिलान न करने की स्थिति में संघ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इसके लिये स्वयं परिवहनकर्ता उत्तरदायी होगा। बकाया क्रेट का कटौत्रा परिवहन कर्ता के देयक से क्रय मूल्य के आधार पर किया जावेगा ।

30— परिवहनकर्ता द्वारा निष्पादित इस अनुबन्ध की शर्तो की अवहेलना करने एवं संतोषप्रद काम नहीं होने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर बिना कोई कारण बताये ठेका समाप्त कर सकेगे एवम् ठेका समाप्त किये जाने पर परिवहनकर्ता किसी क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा।

31— यह अनुबन्ध तीन वर्षो के लिये प्रभावशील रहेगा । दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्षो की अवधि में सन्तोषप्रद पाए जाने पर अनुबंध की समान शर्तो एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि आपसी सहमति से एक–एक वर्ष करके दो वर्ष तक और बढ़ाई जा सकेगी ।

32— यदि परिवहनकर्ता शर्तो के परिपालन में असमर्थ है या ठेका या ठेका समाप्त करना चाहता है तो उसको दो माह पूर्व संघ को लिखित सूचना देना होगा, ऐसा न करने पर संघ द्वारा प्रतिभूति राशि एवम् शेष देयकों की राशि राजसात कर ली जावेगी । इसी प्रकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी परिवहनकर्ता को दो माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त कर सकेगा ।

33— परिवहनकर्ता के अनुबन्ध की सभी अथवा किसी भी निबन्धन एवं शर्तो के भंग करने पर इस अनुबन्ध को निरस्त करने पर कोई अन्य व्यवस्था करने के लिये ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर स्वंतत्र होगा, इस प्रकार के अनुबन्ध के निरस्त होने की स्थिति में परिवहनकर्ता द्वारा ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के पास जमा कराई गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी एवं इस प्रकार के अनुबन्ध के निरस्त होने के कारण ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ को होने वाली क्षतियों एवं हानियों का भुगतान परिवहनकर्ता से रिस्क एण्ड कोस्ट आधार पर दायित्वों का भुगतान ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ की मांग करने पर तुरन्त करना होगा। क्षतियों एवम् हानियों का निर्धारण अथवा क्षतियों एवम् हानियों जो परिवहनकर्ता से वसूल की जानी है, के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा

34– ठेके के अवधि में डीजल, ऑयल की दरों में जो वृद्धि/कमी होती है तो समान अनुपातिक वृद्धि/ कमी परिवहन दरों में की जावेगी ।

35– यदि परिवहनकर्ता पर ई.पी.एफ तथा ई.एस.आई के प्रावधान लागू नहीं होते हो तो उसके द्वारा इस बाबत् घोषणा पत्र तथ दस्तावेज उपलब्ध कराये जावें अन्यथा भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत परिवहनकर्ता द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से वाहन पर कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार परिवहनकर्ता को सम्बन्धित विभाग से कोड नम्बर प्राप्त कर प्रावधानों के अनुसार नियमित अंशदान की राशि जमा कराना होगी अन्यथा सम्बन्धित परिवहनकर्ता की प्रतिभूति राशि / लम्बित देयकों से वसूल की जावेगी ।

36– दूध उत्पादो की उत्कृष्ट गुणात्मक स्तर को बनाये रखने वास्ते परिवहनकर्ता इन्सूलेटेड वाहन परिवहन वितरण हेतु संघ को उपलब्ध करावेंगे, उपलब्ध न कराने की स्थिति में परिवहन ठेका निरस्त हो जाएगा ।

37– संघ यदि आपको परिवहन सह सॉची दूध/उत्पाद वितरक वास्ते कार्य सम्पादन हेतु आदेशित करता है, तो आपको संघ हित में यह कार्य संघ के निर्धारित लक्ष्यों के तहत् करना अनिवार्य होगा, यदि कार्य सम्पादन करने में आप अक्षम या संघ के माप दण्ड़ो पर उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं तो आपका परिवहन ठेका एक माह के नोटिस पर संघ को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा कार्य संपन्न न करने की अक्षमता के लिए आप स्वयं जिम्मेदार एवं जबाबदार होगे तथा संघ उक्त वितरण मार्ग पर अन्य परिवहन सह वितरक सॉची दूध/उत्पाद नियुक्ति वास्ते पूर्ण रूपेण स्वतन्त्र होगा ।

38– परिवहनकर्ता अपने वाहन का बीमा, मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा कार्यरत् ड्रायवर एवम् परिचारक, क्लीनर का बीमा कराने हेतु बाध्य रहेगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जप्त की जा सकेगी । ड्रायवर एवं परिचारक का बीमा कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के अधीन भी कराना होगा तथा ड्रायवर के पास उचित श्रेणी का ट्रॉसपोर्ट लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।

39– परिवहनकर्ता की जिम्मेवारी होगी की वह अपने वाहन का परमिट, बीमा, फिटनेस,मोटरयान अधिनियम में प्रावधानों के अन्तर्गत अद्यतन रखे अन्यथा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा ।

40– अनुबंध की शर्तो के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में विवाद को निर्णयार्थ आर्बीट्रेटर को सौंपा जा सकेगा। आर्बीट्रेटर उभयपक्षो की सहमति से अथवा Arbitration Act अनुसार निर्धारित किया जावेगा व आर्बीट्रेटर का निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा जो कि अन्तिम होगा।

41– यह कि किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र सहकारी न्यायालय ग्वालियर होगा।

42– परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर संघ के द्वारा अनुबन्ध में कोई नई शर्त सम्मिलित की जा सकती हैं । ऐसी शर्त के सम्बन्ध में परस्पर दोनो पक्षो के द्वारा चर्चा कर निर्णय लिया जावेगा जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

3– उपरोक्त अनुबन्ध के शर्तो के अलावा समय –समय पर संघ द्वारा परिवहनकर्ता को जो भी लिखित निर्देश दिये जावेगे वह इस अनुबन्ध के भाग माने जावेगे तथा निविदा की शर्ते भी निविदा का भाग मानी जावेगी।

परिवहनकर्ता के हस्ताक्षर———————

नाम ——————————————————————

पता ——————————————————————

————————————————————————

पिन कोड़ नम्बर————————————————

मोबाईल नम्बर ———————————————

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
ग्वालियर

1. गवाह के हस्ताक्षर ———————————————

नाम एवं पता ———————————————————

——————————————————————————

——————————————————————————

पिन कोड़ नम्बर————————————————

मोबाईल नम्बर ———————————————

प्रभारी विपणन

2. गवाह के हस्ताक्षर ———————————————

नाम एवं पता ———————————————————

——————————————————————————

——————————————————————————

पिन कोड़ नम्बर————————————————

मोबाईल नम्बर ———————————————

डेयरी संयत्र बानमौर से मालनपुर–भिण्ड–अम्बाह मार्ग

1– मालनपुर
2– भिण्ड
3– अम्बाह

1– क्षमता न्यूनतम 1.5 मै.टन बोलेरो पिकअप / समकक्ष वाहन इन्सूलेटिड बॉडी

2– आना – जाना दूरी अनुमानित 220 किलो मीटर

दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का
शपथ पत्र का प्रारूप
(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

नाम – ....
पिता – ....
आयु – ....
निवासी – ....

1– ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा साँची दुग्ध परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। मेरे द्वारा डेयरी संयंत्र बानमौर से .... मार्ग के लिए निविदा में भाग लिया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि मैं ग्वालियर दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी कोई रिश्तेदारी या परिवारिक संबंध नहीं है।

इति दिनांक....................................ग्वालियर **हस्ताक्षर शपथग्रहिता..............................**

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत सम्पूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक....................................ग्वालियर **हस्ताक्षर शपथग्रहिता..............................**

वाहन उपलब्ध करने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।

(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

नाम – ....

पिता – ....

आयु – ....

निवासी – ....

1– ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा साँची दुग्ध परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। मेरे द्वारा डेयरी संयंत्र बानमौर से .... मार्ग के लिए निविदा में भाग लिया गया है। यदि उक्त निविदा स्वीकृत होती है तो मैं निविदा में उल्लेखित शर्तों के अनुसार नवीन/अनुबंधित/वर्ष 2015 के बाद का इंसुलेटेड वाहन सूचना प्राप्ति के एक माह के अन्दर लगाने हेतु वचनबद्ध हूं अन्यथा मेरा आवेदन अस्वीकार किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

इति दिनांक....................................ग्वालियर **हस्ताक्षर शपथग्रहिता.............................**

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत सम्पूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक....................................ग्वालियर **हस्ताक्षर शपथग्रहिता.............................**

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मीनेट नहीं होने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप

(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

नाम – ....

पिता – ....

आयु – ....

निवासी – ....

1– ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा साँची दुग्ध परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। मेरे द्वारा डेयरी संयंत्र बानमौर से .... मार्ग के लिए निविदा में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि मुझे एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मीनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है।

इति दिनांक......................................ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्रहिता...............................

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत सम्पूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक......................................ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्रहिता...............................

किसी भी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप

(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

नाम – ....

पिता – ....

आयु – ....

निवासी – ....

1– ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर द्वारा आमंत्रित डेयरी संयंत्र बानमोर से ....मार्ग हेतु साँची दुग्ध परिवहनकर्ता ई–निविदा में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि मेरे विरूद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक.....................................ग्वालियर **हस्ताक्षर शपथग्रहिता..............................**

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत सम्पूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक.....................................ग्वालियर **हस्ताक्षर शपथग्रहिता..............................**